वाणिज्य ए.जे.एम. 292

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड
(वाणिज्य शाखा)

कं–अ.वि.वि.नि.ल / मु. अ. (वा.) / अ.अ.(वा.) / फा. 57 (D) / 2007 / प्रे 227 दिनांक 13-4-07

आदेश

विषयः कृषि एवं अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं से बकाया राशि वसूली के लिये रियायती योजना।

कृषि एवं अन्य श्रेणियों के उपभोक्ताओं से निगम की विद्युत बिलों की काफी मूल राशि बकाया है तथा उस पर प्रतिमाह विलम्ब सरचार्ज (डी.पी.एस.) भी बढ़ता जा रहा है। यद्यपि निगम ने गत वर्षों में भी इस प्रकार की योजना लागू की थी परन्तु किन्हीं कारणों से उपभोक्ता इसका लाभ नही उठा पाये। अतः निगम में इस बारे में विचार कर बकाया राशि की शीघ्र वसूली करने हेतु उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये द्वितीय चरण में निम्न रियायती योजना लागू की है।

रियायती अवधि की दिनांक 15.04.07 से दिनांक 15.05.07 तक।

क्र.सं.	विवरण	दी गई रियायतें
1.–A	घरेलू, रोडलाईट, कृषि एवं मिश्रीत भार श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिये (चालू एवं कटे हुए कनेक्शनों पर) अपनी समस्त बकाया राशि एकमुश्त जमा कराने पर।	1. चालू कनेक्शनों के लिये दिनांक 31.3.06 तक की बकाया राशि में शामिल डी.पी.एस. माफ किया जायेगा एवं दिनांक 31.3.06 तक की मूल राशि ही वसूली जायेगी। वर्ष 2006–2007 में इकट्ठी हुई मूल राशि व डी.पी.एस. का 50% ही जमा कराना होगा। 2. कटे कनेक्शनों के लिये। दिनांक 31.3.06 को बकाया राशि में शामिल डी.पी.एस. / ब्याज माफ किया जायेगा एवं दिनांक 31.3.06 तक की मूल राशि ही वसूली जायेगी। वर्ष 2006–2007 में इकट्ठी हुई मूल राशि व ब्याज / डी.पी.एस. का 50% ही जमा कराना होगा। 3. रियायती योजना के अन्तर्गत बकाया जमा कराने के लिए उपभोक्ता द्वारा संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप अनुसार भर कर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।
1.–B	मध्यम, लघु औद्योगिक श्रेणी एवं वाणिज्य श्रेणी के दि. 31.03.06 तक कटे हुए कनेक्शनों द्वारा समस्त बकाया राशि एक मुश्त जमा कराने पर।	दिनांक 31.3.06 को बकाया राशि में शामिल डी.पी.एस. / ब्याज माफ किया जायेगा एवं दिनांक 31.3.06 तक की मूल राशि ही वसूली जायेगी। वर्ष 2006–2007 में इकट्ठी हुई ब्याज की राशि का 50% ही जमा कराना होगा। रियायती योजना के अन्तर्गत बकाया जमा कराने के लिए उपभोक्ता द्वारा संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप अनुसार भर कर सम्बन्धित सहायक अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।
2.	वृहद औद्योगिक सेवा (LIP/HT-5) के दिनांक 31.3.06 तक कटे कनेक्शनों द्वारा समस्त बकाया राशि जमा कराने पर।	1. कनेक्शन कटने तक लगा 50% एल.पी.एस. माफ किया जायेगा। 2. कनेक्शन कटने की दिनांक से भुगतान की दिनांक तक 6% वार्षिक ब्याज वसूल किया जायेगा। 3. रियायती योजना के अन्तर्गत बकाया जमा कराने के लिए उपभोक्ता द्वारा संलग्न आवेदन पत्र के प्रारूप अनुसार भर कर मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर के कार्यालय में प्रस्तुत किया जा सकता है।

नोट :

वाणिज्य ए.जे.एम. 292

1. इस रियायती योजना के अन्तर्गत वृहद औद्योगिक सेवा (LIP/HT-5) के अलावा सभी अन्य श्रेणीयों के लिए विलम्ब शुल्क / ब्याज की छूट देने के लिये सम्बन्धित सहायक अभियन्ता सक्षम होगें। वृहद औद्योगिक सेवा (LIP/HT-5) के लिए मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य), अ.वि.वि.नि.लि., अजमेर सक्षम होगें।
2. इस योजना के अन्तर्गत लाभ लेने के लिये उपभोक्ता द्वारा यदि बकाया से सम्बन्ध में कोई कोर्ट केस विचाराधीन होतो उसे वापस लेना होगा।
3. यदि उपभोक्ता योजना के अनुसार समय पर राशि जमा कराने में असफल रहता है तो उसे यह लाभ नही मिलेगा।
4. इस योजना के अन्दर कटे हुऐ कनेक्शनों को पुनः चालू करवाना आवश्यक नही है।
5. कृषि कनेक्शन जो कटे हुए हैं वो वर्तमान कृषि नीति के अनुसार जोड़े जावेगें।
6. घरेलू/अघरेलू /लघुउधोग (SIP)/ वृहद उद्योग/मध्यम उद्योग/मिश्रित भार के कनेक्शन उपरोक्त रियायती योजना के अनुसार पूरी बकाया जमा कराने पर पुनः जोड़ दिए जावेंगे। इन श्रेणियों के पुनः जोड़ने के लिए, इस योजना के दौरान टी.सी. ओ.एस. –04 के क्लाज 47 के प्रावधान लागू नही होगे। कनेक्शन जोड़ने के लिए यदि अतिरिक्त लाइन खड़ी करनी होती है तो उसके चार्जेज नियमानुसार लिए जावेंगे, अन्यथा केवल प्रस्तावित रीकनेक्शन शुल्क लेकर जोड़ दिए जावेंगे।
7. यदि किसी वर्तमान उपभोक्ता के विरूद्ध भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 126 व 135 के अन्तर्गत बकाया है तो उसे ब्याज /डी.पी.एस. की राशि में 50% की छूट देय होगी। यह छूट केवल उपभोक्ताओं को ही देय है। कटे हुए व स्थायी रूप से कटे कनेक्शनों पर यह रियायत /सुविधा लागू नही होगी।
8. यह रियायती योजना, पंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद के स्ट्रीट लाइट कनेक्शनों और अन्य स्ट्रीट लाइट के कनेक्शनों व सरकारी कार्यालयों पर भी लागू होगी।
9. यह योजना उन पर लागू नहीं होगी जिन्होंने इसी प्रकार की सन् 2004–05, सन् 2005–06, एवं सन् 2006–07 में जारी रियायती योजना में लाभ ले लिया था।
10. जिन उपभोक्ताओं ने इस योजना के लागू होने के पूर्व ही समस्त बकाया राशि जमा करा दी हैं एवं पुनः कनेक्शन जुडवाना चाहते है ऐसे उपभोक्ताओं पर इस योजना के दौरान टी.सी.ओ.एस–04 के क्लाज–47 के प्रावधान लागू नहीं होगें। परन्तु जिन उपभोक्ताओं ने स्वेच्छा से स्थाई रूप से कनेक्शन कटवाने के लिए समस्त बकाया राशि जमा करा दी थी ऐसे कनेक्शनों को पुनः चालू नही किया जावेगा।
11. इस रियायती योजना का लाभ वृहद औद्योगिक, मध्यम औद्योगिक, लघु औद्योगिक व वाणिज्य श्रेणी के चालू कनेक्शनों पर देय नही होगा।

सलंग्नः–उपरोक्तानुसार

आज्ञा से,

(पी. एस. जाट)
मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:
1. सचिव (ऊर्जा), राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, जयपुर डिस्कॉम/जोधपुर डिस्कॉम, जयपुर/जोधपुर।
3. मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्काम, झुन्झुनु/उदयपुर ।
4. संभागीय मुख्य अभियन्ता (परि.एवं संधारण), अजमेर डिस्काम, अजमेर।
5. वित्तीय सलाहकार, अजमेर डिस्काम, अजमेर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (मीटर्स/प्लान/एमएम), अजमेर डिस्काम, अजमेर/उदयपुर
7. अधीक्षण अभियन्ता (परि.एवं संधारण),अजमेर डिस्काम.......... को ....अतिरिक्त प्रतिलिपियॉ अधीनस्थ अधिकारियों को वितरण करने हेतु।
8. सचिव (प्रशासन), अजमेर डिस्काम, अजमेर ।000
9. कम्पनी सचिव, अजमेर डिस्काम, अजमेर।
10. अधिशाषी अभियन्ता ( ), अजमेर डिस्काम.....................
11. वरिष्ठ लेखा अधिकारी ( ), अजमेर डिस्काम.......................
12. जन सम्पर्क अधिकारी, अजमेर डिस्काम, अजमेर।
13. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, अजमेर डिस्काम, अजमेर।

13/4/07

अधिशाषी अभियन्ता (वाणिज्य–प्रथम)

D:\tandon\Xen-I\letter Hindi.doc